WEEKLY FOCUS
#84, NOV 2022

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण

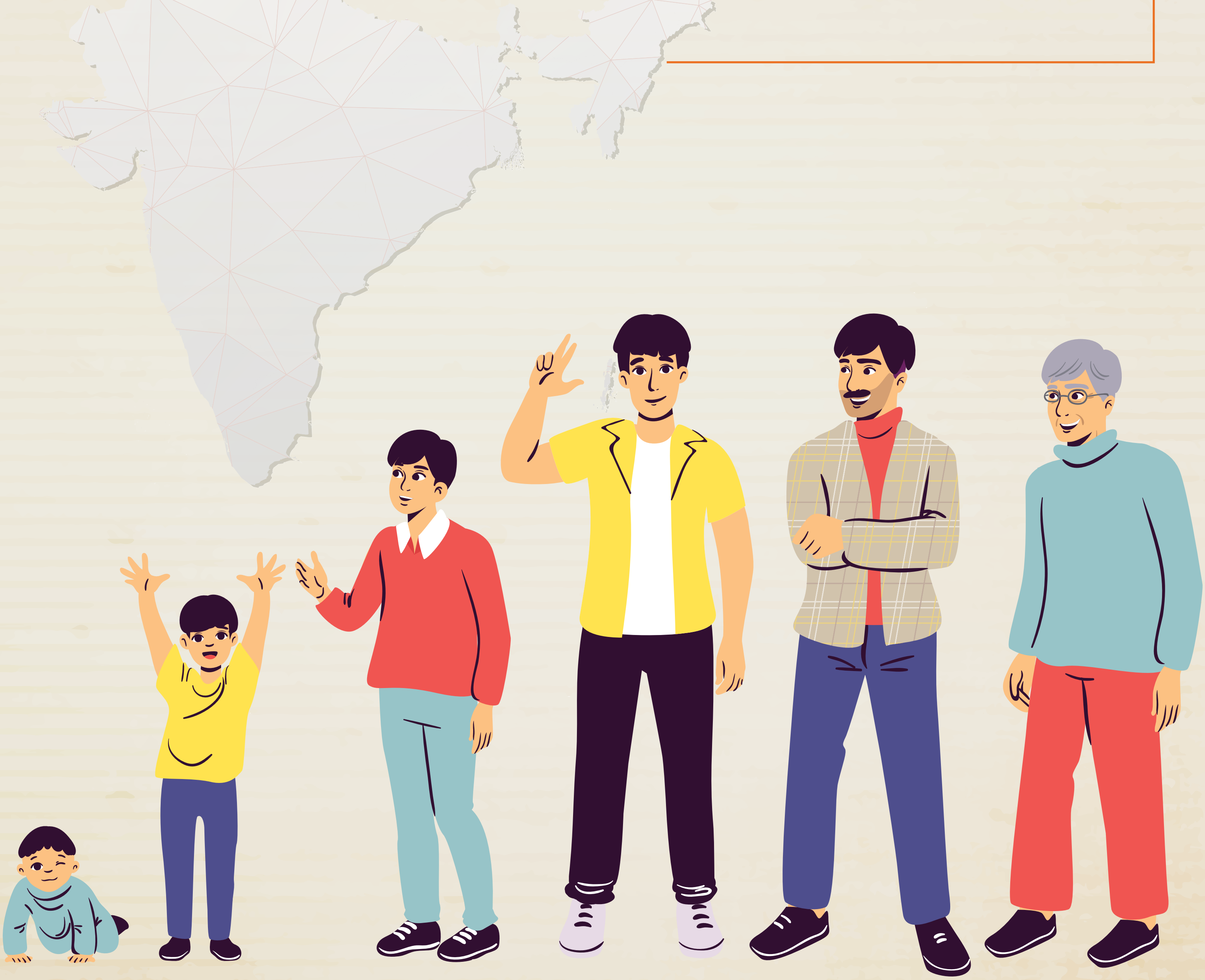

FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL:
+91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN © Vision IAS
www.visionias.in

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI

> "एक महान राष्ट्र को केवल जीवन में नव वर्षों को जोड़ने पर ही बल नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका ध्यान उन अतिरिक्त जोड़े गए नव वर्षों को जीवंत बनाने पर भी होना चाहिए।"
> — जॉन एफ. कैनेडी

परिचय

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी (पापुलेशन एजिंग) 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों में से एक है। 2050 तक, दुनिया में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी दोगुनी (2.1 बिलियन) हो जाएगी। हाल के वर्षों में, भारत में भी वृद्धजनों की आबादी के आकार तथा प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। आगामी दशकों में भी इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है। चूंकि, आर्थिक संवृद्धि की तुलना में जीवन प्रत्याशा में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए अन्य विकसित देशों के विपरीत, भारत के पास वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के प्रभावों से निपटने के लिए कम समय है।

गौरतलब है कि जीवन प्रत्याशा में हो रही बढ़ोतरी एक अत्यंत प्रशंसनीय उपलब्धि है, किंतु इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों के कारण न केवल वृद्धजनों पर बल्कि समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस संदर्भ में, हम निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उनका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे:

- वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है और भारत में वृद्धजनों की आबादी की स्थिति क्या है?
- विकास के संदर्भ में, वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और वृद्ध व्यक्ति क्या मायने रखते हैं?
- वृद्धजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत में कौन–से कदम उठाए गए हैं?
- वृद्धजनों के सामने आने वाली समस्याएं क्या हैं?
- वृद्धजनों की बढ़ती आबादी सरकार के लिए चिंता का विषय क्यों है?
- वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के कल्याण या बेहतरी के लिए भारत को तैयार करने हेतु और क्या किया जाना चाहिए?

वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है और भारत में वृद्धजनों की आबादी की स्थिति क्या है?

- आम तौर पर वृद्ध शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है, जो **जीवन के उत्तरवर्ती चरण** में हैं तथा जिन्होंने अपनी आधी आयु को बहुत पहले ही पार कर लिया है।
- भारत में, वृद्ध व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक पद एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, **जिसने 60 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर ली** है। उदाहरण के लिए – वह व्यक्ति जिसने औपचारिक क्षेत्र में **सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण** कर ली है।
  - हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वृद्धजनों के लिए सेवानिवृत्ति की कोई विशिष्ट आयु निर्धारित नहीं की गई है। वृद्धजनों को परिभाषित करने के लिए आयु के हिसाब से **सामाजिक स्तर पर निर्धारित अवस्थाओं** (जैसे – दादा–दादी व नाना–नानी) का ही अधिक उपयोग किया जाता है।
- भारत में, **2011–21 के दौरान वृद्ध आबादी की वृद्धि दर सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर से तीन गुना अधिक रही है।** यह काफी हद तक प्रजनन क्षमता में गिरावट, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और प्रवासन जैसे कारकों से प्रेरित रही है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

वृद्धजनों की आबादी को बढ़ावा देने वाले कारक

#1 प्रजनन क्षमता में गिरावट
बढ़ते जीवन स्तर, घटती बाल मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण आदि के कारण।

#2 बढ़ती जीवन प्रत्याशा
बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता आदि के कारण।

#3 बाहरी प्रवासन
कामकाजी उम्र में युवाओं के अन्य जगह प्रवास करने के कारण।

भारत में वृद्धजनों की स्थिति

भारत में **2,00,000** व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी आयु 100 साल (100+ जनसंख्या) से अधिक है।

60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या **8.6%** (वर्ष 2011) से बढ़कर वर्ष 2050 तक **20.6%** हो जाएगी।

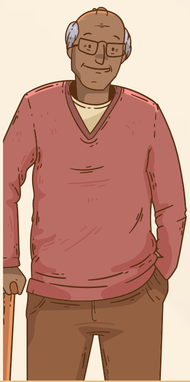

80 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या **0.9%** (वर्ष 2011) से बढ़कर वर्ष 2050 तक **3.06%** हो जाएगी।

अन्य प्रमुख रुझान

- वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं का अनुपात **51.1 प्रतिशत** है।
- भारत की **73.3 प्रतिशत वृद्ध** आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनका एक तिहाई हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन की गति के आधार पर वृद्धजनों की आबादी में **अंतर्राज्यीय असमानता** बहुत अधिक है।
  - हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पंजाब के साथ–साथ दक्षिण भारत के राज्य वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के मामले में शीर्ष पर हैं।

विकास के संदर्भ में, वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और वृद्ध व्यक्ति क्या मायने रखते हैं?

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी, संधारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है। यह अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार और समाज में वृद्धजनों की पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ा सकती है:

- **आर्थिक विकास:** वृद्ध आबादी निम्नलिखित के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अपना आवश्यक योगदान सुनिश्चित करती है
  - **औपचारिक या अनौपचारिक कार्यबल में शामिल होकर:** उदाहरण के लिए – भारत में उच्चतर न्यायपालिका के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश अलग–अलग अधिकरणों के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
  - **उद्यम सृजन** में योगदान देने वाले अपने परिवारों और **समुदायों को संपत्ति तथा संसाधनों का हस्तांतरण** कर रहे हैं (जैसे– एंजेल निवेशक)।
  - **सिल्वर इकॉनमी का निर्माण कर:** इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें वृद्धजनों की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - उदाहरण के लिए– **'गुड फेलोज़'** वृद्धजनों का साथ देने के लिए शुरू किया गया एक स्टार्ट–अप है। साथ ही, यह सहानुभूति और करुणा की भावना रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराता है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य:** वृद्ध व्यक्ति (विशेष रूप से वृद्ध महिलाएं) अक्सर पति–पत्नी, पोते/पोतियों और अन्य रिश्तेदारों के लिए अवैतनिक देखभाल प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह की देखभाल के परिणामस्वरूप अक्सर धन की अत्यधिक बचत होती है।
  - उदाहरण के लिए– यूनाइटेड किंगडम में दादा–दादी या नाना–नानी द्वारा की जाने वाली सेवाओं के कारण बाल देखभाल संबंधी व्यय में प्रतिवर्ष 70 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत होती है।
- **सामाजिक पूंजी (Social Capital):** कई वृद्ध अक्सर स्वयंसेवा, सार्वजनिक संस्थानों के गवर्नेंस और समुदाय–आधारित संस्थानों में भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक और नागरिक जीवन में सक्रिय योगदान देते हैं।
  - इससे साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता के आधार पर **वृद्धजनों के बीच वार्ता और भागीदारी को बेहतर** बनाया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक पूंजी को मजबूत बनाने में आवश्यक सहयोग मिल सकता है।
    - सामाजिक पूंजी साझा मूल्यों का एक सेट है। यह व्यक्तियों को प्रभावी रूप से एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से मिल कर काम करने में सक्षम बनाती है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** युवा लोगों की तुलना में वृद्ध **अधिक संख्या में मतदान** करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने स्वयं के संघों, जैसे– लॉबिंग समूह, राजनीतिक दल और स्थानीय स्तर पर संगठन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - सोशल नेटवर्किंग साइट्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- **विरासत और संस्कृति के संरक्षक:** वृद्धजन अक्सर ऐतिहासिक स्मृति और ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में अपना योगदान देते रहे हैं। साथ ही सामाजिक परंपराओं, दुर्लभ ज्ञान और कौशल के भंडार के रूप में भी ये आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
- **पर्यावरण संरक्षण:** उनके पास ज्ञान, अनुभव के विशाल भंडार के साथ आघातों को सहकर पुनः उत्थान करने की अपार क्षमता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को अनुकूलित करने और कम करने के लिए उनकी भागीदारी, उनका समावेशन तथा उनका नेतृत्व मानवाधिकार–आधारित वैश्विक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- कई विशेषज्ञों का मानना है कि **'वृद्ध (Elder)' शब्द एक नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है, अर्थात् इसे किसी व्यक्ति की खराब स्वास्थ्य अवस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है।** इसके अलावा, यह पद **उम्र बढ़ने के सकारात्मक पहलुओं**, जैसे– ज्ञान, अनुभव आदि की उपेक्षा करता है।
- इसलिए **'बुजुर्ग (Older)' या 'वरिष्ठ (Senior)'** जैसे पदों को वृद्ध की तुलना में अधिक सम्मानजनक माना जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग** ने आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (Covenant) में भी **'वरिष्ठ'** शब्द का इस्तेमाल किया है, न कि वृद्ध शब्द का।

रालेगण सिद्धि गांव के संधारणीय परिवर्तन की कहानी

- रालेगण सिद्धि **महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त और वृष्टि छाया क्षेत्र** में आने वाला एक गांव है।
- 1975 तक, **जल की कमी और मृदा–क्षरण के कारण इस गांव में खेती करना कठिन** हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, **गांव के लोग** काम और आजीविका की तलाश में इस जगह को छोड़कर **अन्य स्थानों की ओर पलायन** करने लगे थे।
- श्री बाबूराव हजारे ने सेवानिवृत्ति के बाद वाटरशेड विकास के माध्यम से **वर्षा–जल के प्रबंधन** के लिए गांव के लोगों को लामबंद किया। इससे **मृदा क्षरण को रोकने और व्यापक वनीकरण को बढ़ावा देने में** मदद मिली।
  - श्री बाबूराव हजारे को अन्ना हजारे के नाम से भी जाना जाता है।
- इन उपायों ने गांव के विकास के लिए **सामुदायिक भावना के विकास और खाद्यान्न में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त** करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया है।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वृद्ध आबादी की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

वृद्धजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत में कौन–से कदम उठाए गए हैं?

- **संवैधानिक निर्देश:** भारत का संविधान, अनुच्छेद–38(1), 39(e), 41 और 46 के तहत वृद्धजनों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य पर दायित्व आरोपित करता है।

- **विधायी निर्देशः माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** के तहत सभी संतानों के लिए माता–पिता के भरण–पोषण के दायित्व को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है। इसके अंतर्गत उनका भरण–पोषण उस सीमा तक होना चाहिए, जिसके आधार पर वे एक सामान्य जीवन जी सकें। इसमें बायोलॉजिकल, गोद लेने वाले या सौतेले माता–पिता भी शामिल हैं।
  - इस अधिनियम के अनुसार देखभाल न होने की स्थिति में वृद्धजन अपनी संतान को हस्तांतरित की गई संपत्ति को अमान्य घोषित कर सकते हैं।
- **वैश्विक पहलों पर हस्ताक्षरः** भारत सरकार 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एजिंग' की एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को दूर करने संबंधी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

भरण–पोषण

रख–रखाव अधिकरण
इस अधिकरण को राज्यों द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह अधिकरण अपने बच्चों, रिश्तेदारों या कानूनी उत्तराधिकारी से गुजारा भत्ता की मांग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की याचिका पर सुनवाई करेगा।

सुलह अधिकारीः
सुनवाई करने से पहले, रख–रखाव अधिकरण निपटान के लिए आवेदन/याचिका को सुलह अधिकारी के पास भेज सकता है।

रख–रखाव अधिकारी
राज्य सरकार अधिकरण की कार्यवाही के दौरान माता–पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए रख–रखाव अधिकारियों को नामित करेगी।

कल्याण

वृद्धाश्रम
राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करेगी।

चिकित्सा सहायता
राज्य, सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं (बेड, अलग लाइनें, आदि) उपलब्ध कराएगा।

सहायक उपाय
राज्य सरकार अधिनियम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा अधिनियम के प्रचार–प्रसार आदि को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी।

वृद्धजनों के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें

1991 – यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑन एजिंग
वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित 18 सिद्धांतों को जीवन की गुणवत्ता के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः स्वतंत्रता, भागीदारी, देखभाल, स्व–पूर्णता और सम्मान।

1992 – प्रोक्लेमेशन ऑन एजिंग
इसे वृद्ध व्यक्तियों पर विकसित संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के व्यापक प्रसार हेतु जारी किया गया था। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

2002 – मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन
21वीं सदी में वृद्धों की बढ़ती आबादी की समस्या से निपटने के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया गया है। यह प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों पर केंद्रित हैः वृद्ध व्यक्ति और उनका विकास; वृद्धावस्था में स्वास्थ्य एवं कल्याण को और बेहतर बनाना; तथा सक्षमकारी एवं सहायक परिवेश प्रदान करना।

2015 – सतत विकास लक्ष्य (SDG)
सतत विकास लक्ष्य 3 (स्वस्थ और आरोग्य जीवन) के तहत वृद्धों की बढ़ती आबादी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

2020 – यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ़ हेल्दी एजिंग (2020–2030)
यह मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग पर आधारित है तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

- **डिकेड ऑफ़ हेल्दी एजिंग (Decade of Healthy Ageing):** यह यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ़ हेल्दी एजिंग के अनुरूप शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य अलग–अलग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एकीकरण करना और अंतर–क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हेल्दी एजिंग** "कार्यात्मक क्षमता विकसित करने और उसे बनाए रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन को सक्षम बनाती है।"
- **संबंधित मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाएं और पहलें:**

मंत्रालय	योजनाएं/ पहलें
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अटल वयो अभ्युदय योजना (Atal Vayo Abhyudaya Yojana: AVYAY): इसे राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy for Older Persons: NPOP) को संशोधित कर वर्ष 2020 में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Welfare of Senior Citizens: NAPSrC) के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि, बाद में इसे पुनः संशोधित कर AVYAY नाम दिया गया। • इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित सभी योजनाओं के लिए एक छत्रक (अम्ब्रेला) योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष चार जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन जरूरतों में वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वृद्धजनों के बीच मेल–जोल और वार्ता/गरिमापूर्ण जीवन शामिल हैं। इसके अंतर्गत विविध योजनाएं इस प्रकार हैं: ○ **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Senior Citizens: IPSrC):** यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर उपलब्ध कराने में सहायता करती है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। ○ **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (State Action Plan for Senior Citizens: SAPSrC):** इसके तहत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं तथा रणनीतियों के निर्माण के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। साथ ही, राज्यों से कहा गया है कि वे अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार करें। ○ **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana: RVY):** यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और जीवन के लिए आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करती है। ○ **वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल पहलः** इसके अंतर्गत दो कार्यक्रमों को संचालित किया गया है: ◊ **सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म–सम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टलः SACRED** पोर्टल, रोजगार प्रदाताओं और रोजगार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को एक साझा मंच प्रदान करता है।

	◊ **सामाजिक पुनर्निर्माण पर लक्षित कार्य समूह (Action Groups Aimed at Social Reconstruction: AGRASR Groups):** ये समूह वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन में मदद करते हैं। ○ **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल:** यह वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार यह **सिल्वर इकॉनमी** के विकास में सहायता करता है। ○ **वृद्धजनों की देखभाल के लिए CSR फंड को चैनलाइज करना:** कंपनी अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे–केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं CSR के अंतर्गत फंडिंग हेतु स्वीकृत की गई हैं। ⊙ **अन्य पहलें** ○ **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (14567)–एल्डरलाइन:** यह वृद्धजनों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया एक वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है। ○ **सुगम्य भारत अभियान:** यह वृद्धजनों एवं अन्य लोगों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ○ **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizens Welfare Fund: SCWF)** का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस कोष को वित्त अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित किया गया है। ○ **वयोश्रेष्ठ सम्मान (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार):** यह वृद्ध व्यक्तियों, (विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों) को सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान 13 श्रेणियों में दिया जाता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme: NSAP):** इस योजना के तहत पात्र वृद्धजनों, विधवाओं और गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line: BPL) जीवनयापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 200–500 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता निम्नलिखित योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है: ⊙ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **(IGNOAPS)** ⊙ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना **(IGNDPS)**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	⊙ **लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडीज़ ऑफ इंडिया (Longitudinal Ageing Study in India: LASI) प्रोजेक्ट:** यह भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों तथा परिणामों के आकलन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। इसके तहत 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ⊙ **राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (National Programme for the Health Care of Elderly: NPHCE):** यह वृद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित के माध्यम से व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है: ○ प्राथमिक और माध्यमिक वृद्धावस्था देखभाल सेवाएं (Primary & Secondary Geriatric Care Services); तथा ○ राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना।
वित्त मंत्रालय	⊙ **प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY):** यह एक बीमा–सह–पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10 वर्षों के लिए मासिक पेंशन के विकल्प के चयन पर 8% का गारंटीकृत रिटर्न प्रदान किया जाता है। इसे LIC द्वारा लागू किया जा रहा है। ⊙ **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** यह योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में जीवन बीमा प्रदान करती है। यह योजना 18–70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका अपना बचत बैंक खाता है। ⊙ **अटल पेंशन योजना (APY):** इसके तहत 60 वर्ष की आयु में 1000–5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	⊙ वृद्धजनों के अनुकूल व बाधा रहित परिवेश के निर्माण हेतु **आदर्श भवन उपनियम (MBBL), 2016** में भवनों, शौचालयों आदि के लिए मानकों को निर्धारित किया गया है। ⊙ यात्रियों की आसान पहुंच और व्हीलचेयर हेतु उचित जगह प्रदान करने के लिए उपयुक्त ढलान वाली **लो फ्लोर बसों की खरीद** की गई है। ⊙ **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** इस योजना के अंतर्गत दिए गए दिशा–निर्देशों में मकान के आवंटन के संदर्भ में ग्राउंड फ्लोर या निचली मंजिलों पर वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, यह प्रश्न उठता है कि क्या ये उपाय पर्याप्त हैं? रिपोर्टों और अध्ययनों के अनुसार सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त पहलों के बावजूद, भारत में वृद्ध व्यक्तियों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और एक सशक्त जीवन जीने के लिए अभी भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वृद्ध व्यक्तियों की मूलभूत जरूरतें

- नई या पुरानी रुचियों की खोज, नाती–पोतों की देखभाल आदि के द्वारा जीवन में उद्देश्य की भावना को बनाए रखना।
- अलगाव तथा अकेलेपन की भावना को कम करने और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सहकर्मियों के साथ समाजीकरण को बढ़ावा देना।
- संज्ञानात्मक ह्रास के जोखिम को कम करने के लिए मनोबल को बढ़ाना।
- गतिशीलता (मोबिलिटी) को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना।
- वृद्धावस्था के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सामाजिक पेंशन के माध्यम से आय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

- **जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य समस्याएं:** वृद्धों की बढ़ती आयु के साथ, अलग–अलग संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अक्सर प्रतिरक्षा को प्रभावित करते हैं। ये खराब स्वास्थ्य और रोगों का कारण बनते हैं।
  - उदाहरण के लिए– वृद्धजन गैर–संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इससे **मनोवैज्ञानिक संकट** और संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इससे **जीवन की गुणवत्ता में कमी** आती है।
- **आय असुरक्षा:** सेवानिवृत्ति और उसके बाद की अवधि में आय में कमी होने के कारण वृद्धजनों को अनेक समस्याओं, जैसे– महंगी स्वास्थ्य देखभाल और आत्मसम्मान में कमी आदि का सामना करना पड़ता है।
  - भारत सेवानिवृत्ति सूचकांक (India Retirement Index), 2021 के अनुसार वर्तमान में 35–65 वर्ष के आयु वर्ग वाले प्रत्येक **चार भारतीयों में से एक, सेवानिवृत्ति योजना** (Retirement Planning) को लेकर अनिच्छुक रहा है। मनोवैज्ञानिक धारणा इसके प्रमुख कारणों में से एक है। यह धारणा भारतीयों को यह विश्वास दिलाती है कि बुढ़ापे के समय परिवार द्वारा उनकी देखभाल की जाएगी।

वृद्धजन और मानसिक स्वास्थ्य

- भारत में **प्रत्येक पांच में से एक वृद्ध व्यक्ति** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह **डिप्रेशन, डिमेंशिया और एंग्जाइटी** को बढ़ाता है। इससे कहीं–न–कहीं वृद्धजनों का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

वृद्ध व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट हेतु उत्तरदायी जोखिम कारक

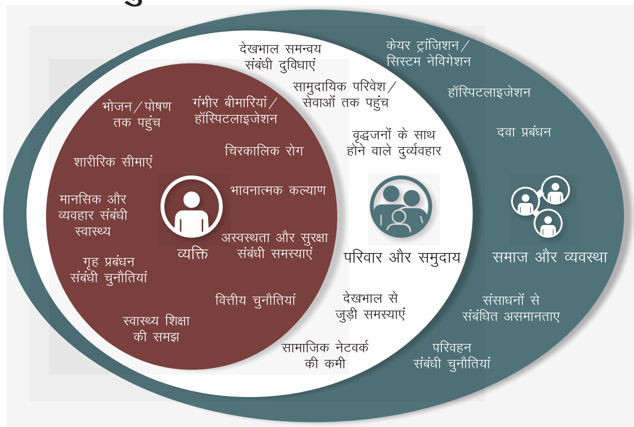

- **अपर्याप्त कानूनी संरक्षण:** माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कई वृद्धजन जिन्होंने अपनी संपत्ति हस्तांतरित कर दी है, वे अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम में **निःसंतान वयस्कों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं** किया गया है।
- **अपराध, हिंसा और दुर्व्यवहार का जोखिम:** आश्रित वरिष्ठ नागरिकों के साथ अक्सर उनके परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषणपूर्ण व्यवहार किया जाता है। वे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और हत्या, धोखाधड़ी जैसे किसी भी अपराध का शिकार बन सकते हैं।
- **अलगाव और अकेलापन बढ़ाने वाले कारक:**
  - आजीविका की तलाश में **बच्चों का पलायन।**
  - **एजिज़्म (Ageism):** यह एक धारणा है, जो वृद्धजनों के प्रति रूढ़िगत विचारों, पूर्वाग्रह एवं विभेदकारी बर्ताव को दर्शाती है। यह धारणा उन्हें एक कमजोर या दूसरों पर आश्रित व्यक्ति मानती है। यह वृद्धजनों को ऐसा महसूस करने के लिए विवश करती है कि उनका जीवन कम मूल्यवान है।
  - **पीढ़ीगत अंतराल:** वरिष्ठ नागरिकों के मूल्य एवं दृष्टिकोण अक्सर उनके बच्चों और नाती–पोतों के आधुनिक विचारों तथा सोच के अनुरूप नहीं होते हैं। इससे बच्चों के नवीन विचारों के प्रति उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण रिश्तों को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धजनों और युवा पीढ़ी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं।
- **देखभाल और सहायता प्रणाली से संबंधित चुनौतियां:**
  - **संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन:** एकल परिवार में व्यक्ति केंद्रित प्रवृत्ति, स्वतंत्रता और निजता की चाहत देखी जाती है। इससे वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने हेतु 'एकल परिवार' की क्षमता कमजोर हो जाती है।
  - **वृद्धजनों का ग्रामीणीकरण:** गोवा और मिजोरम को छोड़कर, सभी राज्यों में वृद्धजनों का एक बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहता है।
    - ◊ **आय असुरक्षा से जुड़ी समस्याएं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पर्याप्त पहुंच की कमी और अलगाव के कारण ग्रामीण वृद्धों को शहरी वृद्धों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।**
  - **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच न होना:** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सीमित पहुंच हेतु मुख्य रूप से कई कारक उत्तरदायी रहे हैं। इनमें वृद्धजनों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, पात्रता और बोझिल प्रक्रिया इत्यादि शामिल हैं।
- **अन्य उभरते मुद्दे**
  - **वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात (Feminisation of Elderly):** बेहतर जीवन प्रत्याशा के कारण, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। संपूर्ण जीवन में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम उन्हें वृद्धावस्था में और अधिक कमजोर बना देते हैं।

प्रौद्योगिकी और वृद्धजन

लाभ

- अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करना।
- कार्यों को अधिक आसानी से पूरा करना।
- संज्ञानात्मक क्षमता को बनाए रखना।
- आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना में वृद्धि करना।

चुनौतियां

- उम्र बढ़ने के साथ हाथ में झुर्रियां पड़ने के कारण डिजिटल डिवाइस की टच स्क्रीन का इस्तेमाल कठिन हो जाता है
- प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तन की गति के साथ स्वयं को अनुकूल बनाए रखने में असमर्थ होना।
- निम्न आय, क्रय क्षमता को कम करती है।

◊ **उदाहरण के लिए– ऐसी वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए बुढ़ापे में गरीबी पूर्णतः जेंडर आधारित हो जाती है, जिनके पास कोई आय की सुरक्षा या परिवार नहीं है।**

- **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें गर्मी और वायु प्रदूषण जैसे जलवायु खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। शारीरिक अक्षमता (Limited Mobility) चरम मौसमी घटना के पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद वृद्धजनों के लिए जोखिम को और अधिक बढ़ा देती हैं।
- **प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना:** पॉजिटिव एजिंग की दिशा में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, वृद्धजनों को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को समझने तथा अपनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉजिटिव एजिंग बढ़ती आयु के प्रति सकारात्मक धारणा को दर्शाती है और इसे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बनाती है।

वृद्धजन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां

नवीनतम तकनीकी विकास की सहायता से **वृद्धजनों की कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है** (इन्फोग्राफिक्स देखिए)। साथ ही, यह **वरिष्ठ नागरिकों को स्वतंत्र और फिर से सक्रिय जीवन जीने** का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

- हालांकि, डिजिटल युग में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जो वृद्धजनों की बढ़ती आबादी को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल उत्पादों की उपलब्धता का अभाव।**
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रौद्योगिकी,** यह आयु संबंधी पूर्वाग्रह के कारण **मौजूदा एजिज़्म (Ageism) को स्थायी बना सकती हैं।**
    - ◊ **एजिज़्म एक ऐसी अवधारणा है, जो वृद्धजनों के प्रति पूर्वाग्रह एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है।**
  - इंटरनेट तक पहुंच में कमी तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों की वहनीयता के कारण डिजिटल निरक्षरता मौजूदा **डिजिटल डिवाइड** में वृद्धि कर सकती है।
  - **साइबर अपराध, धोखाधड़ी और डेटा के उल्लंघन से संबंधित जोखिमों में वृद्धि हो सकती है।**
- **वृद्धजनों में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - वृद्धजनों में अंतर–वैयक्तिक परिवर्तनशीलता के लिए **व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान–संबंधी प्रशिक्षण** प्रदान करना।
  - डिजिटल तकनीकों तक पहुंच सुनिश्चित करके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाकर **वृद्धजनों को सशक्त बनाना।**
  - वृद्धजनों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर **AI प्रौद्योगिकियों का सहभागी डिजाइन** तैयार करना।
  - व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किए बिना **जनता की भलाई के लिए डेटा का उपयोग** करना।

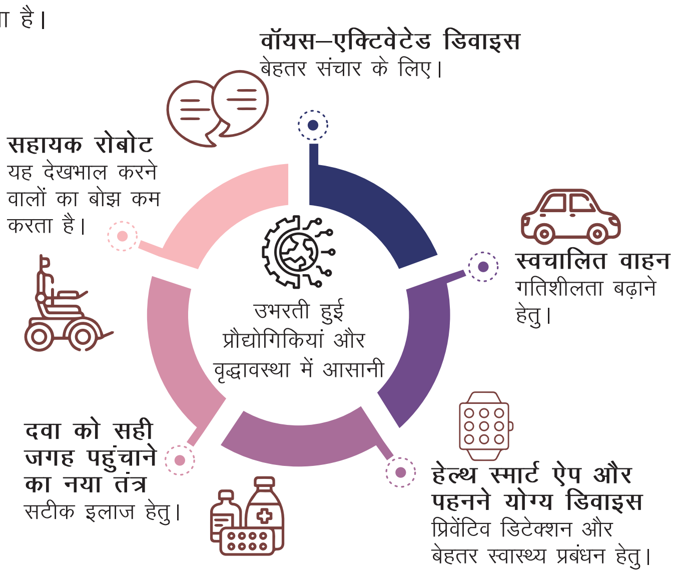

उपर्युक्त चुनौतियों के अलावा, सरकार के समक्ष कुछ अन्य महत्वपूर्ण चिंताएं भी मौजूद हैं, जो देश में बढ़ती वृद्ध आबादी से जुड़ी हुई हैं।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी सरकार के लिए चिंता का विषय क्यों है?

- **निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio) में वृद्धि:** निर्भरता अनुपात वस्तुतः 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में शून्य से 14 वर्ष की आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों के अनुपात को दर्शाता है।
  - वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में वृद्धि होने पर सरकारी व्यय में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार को पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और वृद्धजनों के लिए शुरू किए गए सामाजिक लाभ कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। यह राजकोषीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) को प्रभावित कर सकता है।
  - यह घरेलू स्तर पर विकास, बचत और उपभोग के पैटर्न पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि उच्च वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात से घरेलू देखभाल के बोझ में बढ़ोतरी होती है। साथ ही, यह कार्यबल के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **आर्थिक संवृद्धि में गिरावट:** कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा कम होने पर श्रम की लागत में बढ़ोतरी होगी तथा व्यवसाय के विस्तार में अत्यधिक समय लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। इस प्रकार इनके हिस्से में होने वाली गिरावट से आर्थिक संवृद्धि में भी कमी आएगी।
- **अपर्याप्त दीर्घकालीन प्रशामक देखभाल (Palliative Care):** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत में 62% वृद्धजनों को दीर्घकालिक और प्रशामक देखभाल की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है।
  - पैलिएटिव केयर या प्रशामक देखभाल एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके तहत जीवन से जुड़ी खतरनाक या गंभीर बीमारियों का सामना करने वाले रोगियों के उपचार और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके तहत बीमारी की रोकथाम और बचाव के माध्यम से रोगी का उपचार किया जाता है।
- **लोक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के समक्ष चुनौतियां:** गैर–संचारी रोगों के कारण उत्पन्न होने वाली चिरकालिक रोग दशाओं के प्रबंधन या उपचार में अत्यधिक धन तथा जटिल देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसे में यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता को बढ़ा देता है।
  - इसके अतिरिक्त, किसी भी संकट की स्थिति में वृद्धावस्था देखभाल प्रणाली पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है जैसा कि हाल ही में कोविड महामारी के दौरान भी देखा गया है।

वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर कोविड–19 के प्रभाव और भविष्य के लिए सीख

- वृद्धों की विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विशिष्ट चिकित्सा पद्धति को **वृद्धावस्था देखभाल** कहा जाता है।
- कोविड–19 का प्रभाव वृद्धजनों की संवेदनशील आबादी पर **आनुपातिक रूप से अधिक रहा है** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इसने **वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अतिरिक्त मांग सृजित की है, जो कि पहले से ही अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही थी, जैसे**
  - **सीमित वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य अवसंरचना:** समर्पित वृद्धावस्था देखभाल इकाइयां वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्रों में तृतीयक स्तर के देखभाल अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं।
  - वृद्धावस्था के क्लीनिकल और कार्यात्मक प्रभावों के बारे में प्रैक्टिस कर रहे **सामान्य चिकित्सकों का ज्ञान सीमित है।**
  - **देखभाल प्रदाताओं का निंदनीय व्यवहार:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्वस्थता को वृद्धावस्था का एक भाग मानते हैं और वृद्ध रोगियों के साथ नकारात्मक तथा संवेदनहीन तरीके से व्यवहार करते हैं।

कोविड–19 और वृद्धजन

प्रभाव	उच्च जोखिम	नियमित चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा	कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य
कारण	कमजोर प्रतिरक्षा और उच्च सहरुग्णता	स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव	आर्थिक तनाव, सोशल डिस्टेंसिंग, दुर्व्यवहार में वृद्धि

- हालांकि, प्रतिकूल प्रभाव हमें उन तरीकों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जिनकी मदद से हम भविष्य में ऐसी किसी आपात स्थिति में प्रभावी वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देते हुए उसे बनाए रख सकते हैं। इन तरीकों में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
  - वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया** जाना चाहिए।
  - **हस्तक्षेप से संबंधित कार्यक्रमों में उम्र के अनुकूल डिजाइनों को अपनाना** चाहिए। साथ ही, समूह विषमता (Heterogeneity) को चिन्हित करने के लिए डेटा सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए।
  - **स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभ को उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया** जाना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद हैं।
  - वृद्धजनों के बीच **टीकाकरण संबंधी झिझक को दूर किया** जाना चाहिए।
  - अस्पताल–आधारित देखभाल के पूरक के रूप में **मजबूत समुदाय–आधारित प्राथमिक देखभाल** हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
  - अलग–अलग देखभाल प्रक्रियाओं में **टेलीहेल्थ का उपयोग** किया जाना चाहिए, जैसे– प्रिस्क्रिप्शन का पुनः उपयोग या प्रश्नों के माध्यम से स्थितियों का मूल्यांकन करना आदि।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के संदर्भ में भारत को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए?

- **एक्टिव एजिंग (Active ageing) के माध्यम से आरोग्यता को बढ़ावा देना:** एक्टिव एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से स्वास्थ्य, भागीदारी और सुरक्षा के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यह बढ़ती आयु वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहयोग करती है। इसे प्राप्त करने हेतु किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं:
  - **एजिज़्म (Ageism) को रोकना:** इस संदर्भ में शैक्षिक गतिविधियां उपयोगी हो सकती हैं। शैक्षिक गतिविधियां समानुभूति को बढ़ाती हैं और वृद्धजनों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करती हैं। इसके अलावा अंतर–पीढ़ीगत गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो पूर्वाग्रह को सीमित और एजिज़्म को कम करने में मदद कर सकती हैं।
  - **वृद्धाश्रमों और अनाथाश्रमों को एकीकृत करना:** यह अकेलेपन और अवसाद से पीड़ित वृद्धजनों और पालन–पोषण से वंचित बच्चों को एक साझा स्थान उपलब्ध कराएगा।
    - ◊ वर्ष 2019 में स्कूली छात्राओं द्वारा इस तरह के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'मैत्री ऐप' लॉन्च किया गया था।
  - **दीर्घकालीन प्रशामक (Palliative) देखभाल:** केरल के मलप्पुरम जिले के प्रशामक देखभाल मॉडल को राष्ट्रीय नीति में शामिल किया जा सकता है।
    - ◊ यह मॉडल, **समुदाय आधारित प्रशामक देखभाल मॉडल** को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा क्लीनिकल कार्यों और होम केयर विजिट जैसे दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

एक्टिव एजिंग के तीन स्तंभ

भागीदारी
- आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना। यह वृद्धावस्था में भी वृद्ध व्यक्ति को उत्पादक गतिविधियों में संलग्न बनाए रखने में मदद करेगा।
- स्कूलों और समुदायों के मध्य अंतर–पीढ़ीगत गतिविधियों अर्थात् बच्चों तथा वृद्धजनों के बीच वार्तालाप को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानसिक, शारीरिक व सामाजिक स्वास्थ्य आधारित बहु–विषयक दृष्टिकोण को अपनाना।
- रोगों की रोकथाम हेतु प्रयास करना।
- गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना।

सुरक्षा
- वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीतियों को संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- ऐसी नीतियां वृद्धजनों के सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा अधिकारों तथा जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित होनी चाहिए।

- **करियर के लिए दूसरा विकल्प:** करियर के लिए एक द्वितीयक विकल्प के रूप में स्वस्थ और काम करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराके उनकी सहायता की जा सकती है।
  - ◊ वरिष्ठ नागरिकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ इस तरह के काम करने से उन्हें एक संतुष्ट जीवन जीने तथा स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- **वरिष्ठों के लिए वित्तीय प्लानिंग और आय सुरक्षा:** प्रारंभिक वर्षों में वित्त संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देते हुए उसे सुगम बनाया जाना चाहिए। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल कर संरचनाओं व एकीकृत बीमा उत्पादों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- **दोहरे जनसांख्यिकीय लाभांश को पुनः प्राप्त करना:** दोहरा जनसांख्यिकीय लाभांश, वयस्कों की आयु में होने वाली वृद्धि से मिलने वाला लाभ है। यह व्यक्ति को वृद्धावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार बचत में होने वाली वृद्धि, पूंजी संचय और आर्थिक संवृद्धि में बढ़ोतरी कर सकती है।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे **मानव पूंजी वाले क्षेत्रों में अधिक निवेश** करना चाहिए और **गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहन** (बचत संपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन अवधि तक बनी रहे) देना चाहिए। ये दोनों ऐसे उपकरण हैं, जो जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- **कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना:** सभी वृद्धजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, इस अधिनियम के **प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान केंद्रित** किया जा सकता है।
- **नीतियों और कार्यक्रमों की प्रासंगिकता में वृद्धि करना:** इसके लिए आवश्यक है कि:
  - वृद्धजनों को **व्यक्तिगत सहयोग प्रदान किया जाए;**
  - **योजनाओं को जेंडर फ्रेंडली बनाया जाए;**
  - प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए **जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए;**
  - नीतियों और कार्यक्रमों तक वृद्धजनों की **आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए;**
  - लाभार्थियों से **फीडबैक प्राप्त किया जाए;**
  - विश्व भर में प्रचलित **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का प्रयास किया जाए।**

वृद्धजनों की देखभाल के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं/कार्य

जापान

जापान के ओगिमी गांव में अधिकांश वृद्धजनों के लिए "इकिगाई"(Ikigai) विचार विशेष महत्व रखता है। इकिगाई शब्द का तात्पर्य व्यस्ततापूर्ण जीवन द्वारा मिलने वाले आनंद से है। यह विचार व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने हेतु प्रेरित करता है। गांव के वृद्धजन जीवन पर्यंत खेती, पारंपरिक शिल्प निर्माण, खेल जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसे लंबे और आनंदपूर्ण जीवन के लिए एक कारण के रूप में देखा जाता है।

सिंगापुर

'एक्शन प्लान फॉर सक्सेसफुल एजिंग' के अधीन नेशनल सिल्वर एकेडमी (NSA) सब्सिडाइज्ड पाठ्यक्रम के माध्यम से आजीवन लर्निंग को बढ़ावा देती है।

थाईलैंड

कर–वित्त पोषित समुदाय–आधारित दीर्घकालिक और प्रशामक देखभाल कार्यक्रम (The Tax-Financed Community-Based Long Term Palliative Care): यह समुदाय के पार्ट टाइम देखभाल प्रदाताओं को धन और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- **गांव का विकास:** चूंकि, वृद्धजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, अतः ऐसे में लोगों की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुरूप गांवों का विकास करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
  - इसके लिए सरकारी पहलों के साथ–साथ निजी पहलों को साथ लाना अत्यंत आवश्यक है।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत वृद्धजनों को शामिल करना:** सतत विकास लक्ष्यों के तहत 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने' और "सबसे पीछे रहने वाले व्यक्ति तक सबसे पहले पहुंचने" का प्रयास किया गया है। यह वृद्धजन सहित प्रत्येक व्यक्ति को विकास के प्रयासों में शामिल करने पर जोर देता है।
- **रिटायरमेंट होम से जुड़ी धारणाओं को बेहतर बनाना:** रिटायरमेंट होम, वृद्धाश्रमों का ही एक नवीन संस्करण है। यह रिटायरमेंट कम्युनिटी की अवधारणा पर आधारित है। इन्हें वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने तथा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुनियोजित तरीके से विकसित किया गया है।

एक छोटी सी वार्ता!
वृद्धाश्रमों के संबंध में मौजूद पूर्वाग्रहों को समाप्त करना

विनी: हे विनय! इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम वापस बेंगलुरु कब आए?

विनय: अरे विनी! क्या हाल है? मैं कल अपनी दादी से मिलने आया था। उन्होंने यहां एक रिटायरमेंट होम ज्वाइन किया है।

विनी: ओह अच्छा! तुम्हारी दादी एक वृद्धाश्रम में रह रही हैं? लेकिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे माता–पिता की जिम्मेदारी है कि वे उनकी देखभाल करें और इस अवस्था में उन्हें एक आनंदमय जीवन प्रदान करें?

विनय: बिल्कुल। हम सभी को उनसे गहरा लगाव है। हालांकि, शुरू में हममें से किसी ने भी रिटायरमेंट कम्युनिटी में जाने के उनके फैसले को स्वीकार नहीं किया था।

विनी: लेकिन, इतने प्यार और देखभाल के बावजूद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया?

विनय: दरअसल विनी! मेरी दादी को सारा दिन घर में अकेले ही व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि मेरे माता–पिता और हमारे पड़ोसी सभी काम पर जाते हैं। हम सभी समझते थे कि उनका जीवन अब उनके लिए उतना आनंदमय नहीं रहा।

विनी: लेकिन वृद्धाश्रम या रिटायरमेंट होम, घर का बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है?

विनय: विनी! रिटायरमेंट होम में मेरी दादी को उनके जैसे लोगों का साथ मिला है। वह शतरंज खेलने के अपने शौक को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपने साथियों को योग कक्षाएं भी देनी शुरू कर दी हैं।

विनी: सच में?

विनयः हाँ! उनकी जिंदगी फिर से बदल गई है, जिसमें अब करने के लिए बहुत कुछ है। हम सब उनके लिए बहुत खुश हैं। हम अक्सर उनसे मिलने यहां आते हैं और जब वह घर आती हैं, तब हम सभी उनके साथ ज्यादा—से—ज्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं।

विनीः वाह! विनय, तुमने मुझे सोचने—समझने का एक अलग नज़रिया दिया है! मुझे लगता था कि वृद्धजनों को जबरदस्ती वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है।

विनयः सच कह रही हो। दरअसल, मेरी मां मेरी दादी के फैसले के बिल्कुल पक्ष में नहीं थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि पड़ोसी और रिश्तेदार हमें हेय दृष्टि से देखेंगे।

विनीः शायद, सामाजिक कलंक दोनों तरह से काम करता है।

विनयः सही कहा। लेकिन अब चीजें धीरे—धीरे बदल रही हैं। वृद्धजन रिटायरमेंट कम्युनिटी में अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें छोड़ दिया गया है।

विनीः हां विनय! और यह वृद्धाश्रमों को लेकर फैलाए गए पूर्वाग्रह और कलंक को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है।

विनयः मुझे भी यही उम्मीद है।

निष्कर्ष

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी/पापुलेशन एजिंग, मानवता की एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से भी एक के रूप में उभरी है। वृद्धजनों की बढ़ती आबादी (Population Ageing) की अवधारणा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नई आवश्यकताओं को जन्म दे रही है। जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के दुष्प्रभावों को कम करने तथा वृद्ध आबादी को बदलते समाज के अनुकूल बनाने के क्रम में वृद्धजनों से जुड़ी सामाजिक नीतियों को नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही, बदलती हुई आयु संरचना के अनुकूल स्वयं को ढालने हेतु समाजों को प्रेरित किया जाना चाहिए। इस दिशा में किए गए संगठित प्रयास, सभी आयु वर्ग के लोगों वाले भारतीय समाज की स्थापना में मदद करेंगे। यह एक ऐसा समाज होगा, जहां वरिष्ठ नागरिक भी मजबूत सामाजिक और अंतर—पीढ़ीगत बंधन के साथ एक स्वस्थ, खुश, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे।

नोट— पापुलेशन एजिंग (Population Ageing) मुख्यतः जनसंख्या की आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह कुल जनसंख्या की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में हुई वृद्धि को दर्शाता है।

टॉपिक – एक नज़र में

आम तौर पर, वृद्ध शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है, जो **जीवन के उत्तरवर्ती चरण में हैं** तथा जिन्होंने अपनी आधी आयु को बहुत पहले ही पार कर लिया है। हालांकि, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए 'बुजुर्ग' या 'वरिष्ठ' पद का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि 'वृद्ध' शब्द नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है।

भारत में वृद्ध आबादी की स्थिति

कुल जनसंख्या में वृद्धजनों का हिस्सा		वृद्ध महिलाओं का अनुपात	ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजन	मौजूद अंतर्राज्यीय विषमता
8.6% (2011)	20.6% (2050)	51.2%	73.3%	

विकास के संदर्भ में, वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और वृद्ध व्यक्ति क्या मायने रखते हैं?

- **आर्थिक विकास**
  कार्यबल में शामिल होकर, सिल्वर इकॉनमी आदि को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य**
  जीवनसाथी, पोते–पोतियों एवं अन्य परिजनों के लिए अवैतनिक देखभाल प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।
- **सामाजिक पूंजी**
  समाज में भागीदारी बढ़ाकर एवं परस्पर अंतःक्रिया को बेहतर बनाकर सामाजिक पूंजी को मजबूत कर सकते हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी**
  युवा लोगों की तुलना में वृद्धजन अधिक संख्या में मतदान करना पसंद करते हैं।
- **संरक्षक और संरक्षण**
  विरासत, संस्कृति के संरक्षक और पर्यावरण संरक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

- कमजोर प्रतिरक्षा, खराब स्वास्थ्य और रोगों के कारण **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
- सेवानिवृत्ति के कारण वृद्धजनों को अनेक समस्याओं, जैसे – **आय असुरक्षा**, खर्चीली वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल और आत्मसम्मान में कमी आदि का सामना करना पड़ता है।
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त **कानूनी सुरक्षा का अपर्याप्त होना।**
- अपराध, **हिंसा और दुर्व्यवहार का उच्च जोखिम।**
- आजीविका की तलाश में बच्चों का पलायन, वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार, पीढ़ीगत अंतराल के कारण **अलगाव और अकेलेपन में वृद्धि।**
- संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, वृद्धजनों का ग्रामीणीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच न होने के कारण उत्पन्न होने वाली **देखभाल और सहायता प्रणाली से संबंधित चुनौतियां।**
- **अन्य उभरते मुद्दे,** जैसे– वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात (Feminisation of Elderly), प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना, जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम आदि।

वृद्धजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत में कौन–से कदम उठाए गए हैं?

- **संवैधानिक निर्देश:** भारत का संविधान, **अनुच्छेद–38(1), 39(e), 41 और 46** के माध्यम से वृद्धजनों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य पर दायित्व आरोपित करता है।
- **विधायी अधिदेश: माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** के तहत सभी बच्चों के लिए माता–पिता के भरण–पोषण के दायित्व को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है। इसमें बायोलॉजिकल, गोद लेने वाले या सौतेले माता–पिता भी शामिल हैं।
- **वैश्विक पहलों पर हस्ताक्षर:** इनमें शामिल हैं:
  - यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑन एजिंग,
  - प्रोक्लेमेशन ऑन एजिंग,
  - मैड्रिड प्लान ऑफ़ एक्शन,
  - सतत विकास लक्ष्य (SDG),
  - यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग।
- **अटल वयो अभ्युदय योजना:** इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष चार जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन जरूरतों में **वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वृद्धजनों के बीच वार्तालाप/गरिमापूर्ण जीवन** शामिल हैं।
- **अन्य योजनाएं एवं पहलें:** सुलभ भारत अभियान, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष आदि।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी सरकार के लिए चिंता का विषय क्यों है?

- **निर्भरता अनुपात में वृद्धि**
  राजकोषीय और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **आर्थिक संवृद्धि में गिरावट**
  आबादी में कार्यशील जनसंख्या की कम भागीदारी के कारण।
- **अपर्याप्त दीर्घकालीन प्रशामक देखभाल (Palliative Care)**
  भारत में 62% वृद्धजनों को दीर्घकालिक और प्रशामक देखभाल की सुविधा नहीं मिल पाती है।
- **लोक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के समक्ष चुनौतियां**
  महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने में वृद्धावस्था देखभाल प्रणाली महंगी एवं अपर्याप्त है।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के संदर्भ में भारत को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए?

- **एक्टिव एजिंग (Active Ageing) के माध्यम से आरोग्यता को बढ़ावा देना, जैसे–**
  - शैक्षिक जागरूकता के माध्यम से एजिज़्म को कम करना,
  - वृद्धाश्रमों और अनाथाश्रमों को एकीकृत करना,
  - केरल के मलप्पुरम जिले के प्रशामक देखभाल मॉडल को राष्ट्रीय नीति में शामिल करना आदि।
- स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मानव पूंजी वाले क्षेत्रों में अधिक निवेश और गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहन देकर **जनसांख्यिकीय लाभांश को पुनः प्राप्त करना।**
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत सभी वृद्धजनों को शामिल करके **कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना।** साथ ही, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण करना।
- वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए **गांवों का विकास करना**, क्योंकि वृद्धजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत वृद्धजनों को शामिल करना,** क्योंकि इसके तहत 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने' और "सबसे पीछे रहने वाले व्यक्ति तक सबसे पहले पहुंचने" का प्रयास किया गया है।
- **रिटायरमेंट होम से जुड़ी धारणाओं को बेहतर बनाना।**

FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL:
+91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN © Vision IAS
www.visionias.in
DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI
VISIONIAS INSPIRING INNOVATION